निर्णय वइजलास सुश्री पूजा मीना(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 149/23
दायरा दिनांक :– 11.12.2023
निर्णय दिनांक :– 13.7.24

उनवान

1. भूपेन्द्र गोचर पुत्र धनराज गोचर(गुर्जर) जाति गुर्जर
2. अर्जुन गोचर पुत्र धनराज गोचर(गुर्जर) जाति गुर्जर
3. प्रवीण गोचर पुत्र धनराज गोचर(गुर्जर) जाति गुर्जर

निवासीगण राजकीय विद्यालय के पास ग्राम नारेडा तहसील व जिला बारां।

बनाम

1. धनराज गुर्जर पुत्र रामप्रताप गुर्जर जाति गुर्जर निवासी राजकीय विद्यालय के पास ग्राम नारेडा तहसील व जिला बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर0टी0एक्ट0
निर्णय दिनांक :– 13.7.24

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री हरिओम चतुर्वेदी एड0 – वादी
2 श्री हिमांशु जैन एड0 – प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर0टी0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया। कि ग्राम नारेडा तहसील बारां में वादीगण एवं प्रतिवादी कम 01 की पेतृक आराजियात खाता संख्या नया 138 पुराना 126 के ख0नं0 1001/443 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 133 रकबा 2.52 है0, ख0नं0 134 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 143 रकबा 1.06 है0, ख0नं0 209 रकबा 2.38 है0, ख0नं0 477 रकबा 0.43 है0, ख0नं0 821 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 822 रकबा 4.28 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 11.16 है0 स्थित है। उक्त आराजियात हाल जमाबन्दी में प्रतिवादी कम 01 की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजियात प्रतिवादी कम 01 को विरासतन प्राप्त हुई है। उक्त आराजियात को वाद में विवादित आराजियात के नाम से संबोधित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.09.24 11:42:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

वादीगण एवं प्रतिवादी कम 01 का अविभक्त संयुक्त हिन्दु परिवार था जिसके वादीगण एवं प्रतिवादी कम 01 सहदायिक थे। कर्ता खानदान प्रतिवादी कम 01 ने अपने पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने के उपरान्त अविभक्त संयुक्त हिन्दु परिवार एवं उसकी सहदायिक आराजियात (सम्पत्तियों) का अन्य सहदायिकों के साथ मिल बैठ कर आखातीज 2019 को आराजियात के हक हिस्से कर बाहमी बंटवारा कर बाहमी बंटवारे में वादीगण को उनके हक हिस्से अनुसार आराजियात का कब्जा सुपुर्द कर दिया था। तब से वादीगण एवं प्रतिवादी कम 01 अपने अपने हक हिस्से की आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है।

बाहमी बंटवारे में वादीगण को हक हिस्से में मिली आराजियात ख0नं0 822 रकबा 4.28 है0 में से वादी कम 01 को 1.42 है0 द.पश्चिमी, वादी कम 02 को 1. 4266 है0 द.पूर्वी एवं वादी कम 03 को 1.4268 है0 उत्तरी, ख0नं0 133 रकबा 2.52 है0 में से वादी कम 01 0.84 है0 उत्तरी, वादी कम 02 को 0.84 है0 मध्य एवं वादी कम 03 को 0.84 है0 दक्षिणी एवं ख0नं0 209 रकबा 2.38 है0 में से वादी कम 01 को 0. 7933 है0 पूर्वी, वादी कम 02 को 0.7933 है0 मध्य एवं वादी कम 03 को 0.7934 है0 पश्चिमी कुल किता 3 रकबा 9.18 में से वादी कम 01 को 3.0599 है0, वादी कम 02 को 3.0599 है0 एवं वादी कम 03 को 3.0602 है0 बाहमी बंटवारे में प्राप्त हुई है।

वादीगण को आखातीज 2019 के बाहमी बंटवारे में वादी कम 01 व 02 प्रत्येक को क्षेत्रफल 3.0599 है0 एवं वादी कम 03 को क्षेत्रफल 3.0602 है0 हक हिस्सा आराजी दखल में प्राप्त हुई है। वादीगण बाहमी बंटवारे में अपने अपने हक हिस्से की प्राप्त हुई आराजियात के खातेदार कृषक होने की विधिक प्रास्थितिकी की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में बतौर खातेदार अपने नाम का अंकन करवाने के अधिकारी एवं नालिशी है।

बाहमी बंटवारा अनुसार वादीगण अपने हक हिस्से एवं खातेदारी की आराजियात का विधिवत विभाजन करवाकर अपने अपने हक हिस्से की आराजियात का खाता पृथक करवाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अपने अपने पृथक खाते का अंकन करवाने के अधिकारी है। विवादित आराजियात वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कम 01 की खातेदारी में दर्ज होने से वादीगण को अपने हक हिस्से की आराजियात का भु–सुधार कृषि काश्त की मुआवजा राशि एवं के0सी0सी0 एवं सहकारी ऋण प्राप्त करने से वंचित होने से वादीगण को अपने अपने हक हिस्से की आराजियात का खातेदार कृषक घोषित होने के लिए वाद पेश करना आवश्यक हो गया है।

बाहमी बंटवारा उपरान्त से ही प्रतिवादी कम 01 वादीगण को उनके हक हिस्से एवं आधिपत्य की आराजी पर के0सी0सी0 एवं सहकारी ऋण प्राप्त करने में वादीगण को सहयोग नही करते एवं प्राकृतिक आपदा से फसल को हुई हानि की प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.09.24 11:42:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

मुआवजा राशि का भी भुगतान वादीगण को नही करते है। उक्त राशि की मांग करने पर प्रतिवादी कम 01 वादीगण के हक हिस्से की आराजियात को रहन बय एवं तृतीय पक्ष हितअन्तरण करने की धमकियां दे रहे है। इस कारण वादीगण अपने हक हिस्से एवं आधिपत्य की आराजियात की रक्षार्थ प्रतिवादी कम 01 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 01 की और से इकवाली जवाब पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम नारेडा सम्वत 2072-75 खाता सं0 138 नकल नक्शा ट्रेस पेश किया गया।

अभिभाषक उभय पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 के आखातीज 2019 को अविभक्त संयुक्त हिन्दु परिवार की पेतृक सहदायिक आराजी खाता सं. 138 के कुल ख0नं0 8 किता रकबा 11.16 है0 वाद पत्र में वर्णित आराजी बाबत किये गये बाहमी विभाजन एवं हक हिस्से को प्रतिवादी कम 1 द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर हम वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है। राजीनामा अनुसार वाद पत्र में वर्णित आराजी खाता सं0 138 के कुल ख0नं0 8 किता रकबा 11.16 है0 आराजी के ख0नं0 822 रकबा 4.28 है0, ख0नं0 133 रकबा 2.52 है0 ख0नं0 209 रकबा 2.38 है0 कुल 3 किता रकबा 9.18 है0 आराजी वादीगण को खातेदार कृषक घोषित कर वाद पत्र की चरण कम 4 की उपमद 1 में वर्णित ख0नं0 822, 133, 209 के दर्शित हक हिस्सा अनुसार आराजी का विधिवत विभाजन कर वादी कम 1 ता 3 प्रत्येक के खाते पृथक कर पृथक खातों का राजस्व रिकार्ड में अंकन करें। वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 के मध्य हुए राजीनामा को तस्दीक कर राजीनामा अनुसार ख0नं0 822, 133, 209 का वाद पत्र की चरण नं0 4 (1) में वर्णित हक हिस्से की आराजी का वादी कम 1 ता 3 प्रत्येक को खातेदार कृषक घोषित कर प्रत्येक वादी के हक हिस्से अनुसार ख0नं0 822, 133, 209 कुल किता 3 रकबा 9. 18 है0 आराजी के विभाजन करने का निवेदन किया है। अभिभाषक उभय पक्षकारान को सुना गया। प्रस्तुत राजीनामा पक्षकारान को पढ़ कर सुनाया गया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा सुनकर समझ कर संतुष्टी के वाद हस्ताक्षर किये गये। वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.09.24 11:42:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

:–कियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम नारेडा तहसील बारां के ख0नं0 822 रकबा 1.4266 है0 द.पश्चिमी, ख0नं0 133 रकबा 0.8400 है0 उत्तरी, ख0नं0 209 रकबा 0.7933 है0 पूर्वी वादी कम 1 को ख0नं0 822 रकबा 1.4266 है0 द0 पूर्वी, ख0नं0 133 रकबा 0.8400 है0 मध्य, ख0नं0 209 रकबा 0.7933 है0 मध्य वादी कम 2 को तथा ख0नं0 822 रकबा 1.4268 है0 उत्तरी, ख0नं0 133 रकबा 0.8400 है0 दक्षिणी, ख0नं0 209 रकबा 0.7934 है0 पश्चिमी वादी कम 3 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तद्नुरूप डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
बारां
उपखण्ड़ अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.09.24 11:42:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 149 / 23	धारा अन्तर्गत 88,53,183 आर.टी.एक्ट	निर्णय दिनांक : 13.7.24
समक्ष : सुश्री पूजा मीना, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री हरिओम चतुर्वेदी एड0	अभिभाषक प्रतिवादी:– श्री हिमांशु जैन एड0	

वाद शीर्षक

उनवान

1. भूपेन्द्र गोचर पुत्र धनराज गोचर(गुर्जर) जाति गुर्जर
2. अर्जुन गोचर पुत्र धनराज गोचर(गुर्जर) जाति गुर्जर
3. प्रवीण गोचर पुत्र धनराज गोचर(गुर्जर) जाति गुर्जर

निवासीगण राजकीय विद्यालय के पास ग्राम नारेडा तहसील व जिला बारां।

बनाम

1. धनराज गुर्जर पुत्र रामप्रताप गुर्जर जाति गुर्जर निवासी राजकीय विद्यालय के पास ग्राम नारेडा तहसील व जिला बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम नारेडा तहसील बारां के ख0नं0 822 रकबा 1.4266 है0 द.पश्चिमी, ख0नं0 133 रकबा 0.8400 है0 उत्तरी, ख0नं0 209 रकबा 0.7933 है0 पूर्वी वादी कम 1 को ख0नं0 822 रकबा 1.4266 है0 द0 पूर्वी, ख0नं0 133 रकबा 0.8400 है0 मध्य, ख0नं0 209 रकबा 0.7933 है0 मध्य वादी कम 2 को तथा ख0नं0 822 रकबा 1.4268 है0 उत्तरी, ख0नं0 133 रकबा 0.8400 है0 दक्षिणी, ख0नं0 209 रकबा 0.7934 है0 पश्चिमी वादी कम 3 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 13.7.24 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.09.24 11:42:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner